जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./09/डी- 161 दिनांक:-24.2.09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 50 वी बैठक दिनांक: 18.2.09 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालना
1.		50:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 49वी बैठक दिनांक: 19.09.08 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 49:4(14) सरोकार संस्थान को आवंटित 2500वर्गमीटर भूमि के साथ ख.न. 1 ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जोड़ने तथा प्रस्ताव संख्या 49:4(16) में बागडा ब्राहम्ण समाज संगठन समिति को आवंटित 4000वर्गगज के स्थान पर 4000वर्गमीटर संशोधित करने के साथ अनुमोदन बाबत।	49 वी बैठक के प्रस्ताव संख्या 49.4(14) सरोकार संस्थान को आवंटित 2500 वर्ग मीटर भूमि के आगे खसरा नम्बर 1 ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जोडने के साथ गत बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। बैठक दिनांक 19.09.08 में लिये गये निर्णयों की पालना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि बैठक में लिये गये निर्णयों की पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नही होने तक विवरण आगामी बैठक में लम्बित रहने के कारणों के साथ प्रस्तुत किया जाता रहे ।	
2.	2	50:2	भूखण्ड् सं. 7ए/25, योजना विधाधर नगर के विनिमय में भूखण्ड् सं. 4/342 विधाधर नगर में आवंटन करने बाबत प्रार्थी श्री रमेश चन्द्र माहेश्वरी	समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण के मूल आवंटी को आवंटित भूखण्ड संख्या-7ए/25, योजना विधाधर नगर का कब्जा भूखण्ड के विवादग्रस्त क्षेत्र में आ जाने के कारण नहीं दिया गया। आवंटी द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन हेतु मूल आवंटन के पत्र इत्यादि भी वर्ष 1996 में समर्पित कर दिये थे। इसी प्रकार के अन्य प्रकरणो में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है, जबकि ये प्रकरण वर्ष 1987 से लंबित है।	

				प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर श्री रमेश चन्द्र माहेश्वरी को भूखण्ड् सं. 7ए/25, योजना विधाधर नगर के विनिमय में भूखण्ड् सं. 4/342 विधाधर नगर में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में जविप्रा की योजनाओं से संबंधित भूखण्डों का विनिमय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि विवादित भूमि से संबंधित और भी भूखण्डों का विनिमय यदि किया जाना है, तो सभी का प्रस्ताव एक साथ लाया जावे। जविप्रा की विभिन्न योजनाओं में भूखण्ड विनिमय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्न मापदण्डों का ध्यान रखा जावे:- 1. विनिमय में दिये जानेवाले भूखण्ड का माप यथा सम्भव पूर्व में आवंटित भूखण्ड के माप के बराबर हो । यदि समान माप का भूखण्ड उपलब्ध नही हो तो सर्वप्रथम ऐसे भूखण्डों का प्रस्ताव तैयार किया जावे जिनका माप 10 प्रतिशत कम अथवा अधिक ही हो। 2. विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड समान चौडाई की सडक पर होना चाहिए। 3. विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड यथा सम्भव उसी ब्लॉक में हो यदि उसी ब्लॉक में भूखण्ड उपलब्ध न हो तो समीपस्थ ब्लॉक में स्थित होना चाहिए । अपरिहार्य परिस्थिति में ही उपरोक्तानुसार भूखण्ड उपलब्ध न होने पर योजना की अन्य लोकेशन पर भूखण्ड प्रस्तावित किया जा सकता है परन्तु भूखण्ड की रोड की चौडाई यथा सम्भव समान होगी । यदि इस प्रकार भी भूखण्ड चिन्हित करना	

				सम्भव न हो तो अगली श्रेणी (Next higher category) की चौडाई की सडक पर भूखण्ड प्रस्तावित किया जा सकता है। नीतिगत निर्देश भविष्य में पालना हेतू प्रसारित किये जावे।	
3.	7	50:3	वैशाली नगर योजना (सी-ब्लाक) डिसपेन्सरी के पास निर्मित दुकान सं. 2 की छत का वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन बाबत प्रार्थी श्री रघुवीर शरण अग्रवाल	प्रस्ताव के संबंध में निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों की जोनवार सूची बनाई जावे जिसमें दुकान के उपर छत के वाणिज्यिक आवंटन के प्रस्ताव लम्बित हो । यह सूची तैयार कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जावे ।	
4.	9	50:4	रामनगरिया योजना में स्वच्छ जलाश्य एवं पंप हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार रामनगरिया योजना में स्वच्छ जलाश्य एवं पंप हाउस निर्माण हेतु 5525 वर्ग मीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया ।	
5.	9	50:5	श्री अतुल पण्डित को भूखण्ड संख्या बी-440 रामनगरिया विस्तार के बदले में भूखण्ड संख्या बी-109 रामनगरिया विस्तार का आवंटन बाबत।	यह निर्णय लिया गया कि मौके का निरीक्षण कर पुनःप्रस्ताव मय मानचित्र के प्रस्तुत किया जावे । प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्ताव संख्या 50:2 में निर्धारित की गई नीति/मापदण्ड के अनुसार परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।	
6.	12	50:6	नंदलाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड सं. 203 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के बदले 270 वर्गमीटर का अन्य रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।	यह निर्णय लिया गया कि मौके का निरीक्षण कर पुनःप्रस्ताव मय मानचित्र के प्रस्तुत किया जावे । प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्ताव संख्या 50:2 में निर्धारित की गई नीति/मापदण्ड के अनुसार परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।	
7.	12	50:7	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जयपुर के लिये ग्राम कानोता तहसील बस्सी में खसरा नं. 624 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा में से 16185 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	इस प्रकार के संस्थान हेतु अधिकतम 4000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन का प्रावधान है। भवन विनियम में संस्थानिक भवन तक पहुच के लिए 60 फीट सड्क सम्पर्क होना आवश्यक है जबकि उपायुक्त जोन-12 के द्वारा बताया गया है	

(189)

				कि इस तक पहुचने के लिए 30 फीट रोड है । अत: 60 फीट रोड की कनेक्टीविटी करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	
8.	12	50:8	भूखण्ड् सं. ई. 95 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर कार्नर भूखण्ड् के बदले अन्य भूखण्ड् दिये जाने बाबत प्रार्थी उषा बरोलिया	यह निर्णय लिया गया कि मौके का निरीक्षण कर पुन:प्रस्ताव मय मानचित्र के प्रस्तुत किया जावे । प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्ताव संख्या 50:2 में निर्धारित की गई नीति/मापदण्ड के अनुसार परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।	
9.	12	50:9	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को भूमि आवंटन बाबत।	भूमि आवंटन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि Health Care Institutions को रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरण पर विचार Policy to Promote Health Care Facilities 2006 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय मेडिकल प्लानिग एण्ड रिसोर्स कमेटी की अभिशंषा प्राप्त कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संस्था को लिखा जावें। संस्था से यह भी जानकारी ली जावे कि इनकी सम्बद्धता किस काउन्सिल/ नियामक संस्था से है। तथा यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नियामक संस्था के भूमि हेतु क्या नोर्म्स निर्धारित है? उपायुक्त जोन-12 को यह निर्देश दिये गये कि वे प्रस्तावित भूमि का मौका रिपोर्ट मय मानचित्र, अप्रोच रोड 30 फीट से 60 फीट करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे । संस्थाओं को आवेदन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए भविष्य में निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित	

				करने के निर्देश दिये गये:- 1. संस्थानिक आवंटन चाहनेवाली संस्था की सम्बद्धता किस नियामक संस्था से है? 2. क्या संस्था ने संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त कर ली है? 3. क्या संस्था को भूमि आवंटन की अनुशंषा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा कर दी गई है?	

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

24/2/09

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
3- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6- जिला कलक्टर, जयपुर
7- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
8- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
9- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
10- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
11- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
12- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
13- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
14- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
16- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17- रक्षित पत्रावली

24/2/09

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

186

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 50-वी बैठक दिनांक 18.02.2009 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री उमेश कुमार, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	सुश्री रेखा गुप्ता, सचिव, जविप्रा	सदस्य
3.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री पी.के पाण्डे, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
6.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्रीमती सीमा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
8.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) अति. प्रभार	सदस्य सचिव
9.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित
13.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		